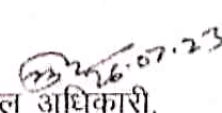


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटौंड(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-120/2023

तिथि	आदेश फलक	मतव्य
1	2	3
26.07.2023	-:आदेश:- अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश ज्ञापांक 461/रा0, दिनांक-14.5.16 के आधार पर सधारित किया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या-01 ने अंचल निरीक्षक करमाटौंड(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटौंड(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-कुरुवा, थाना सं0-83, खाता सं0-60/2, दाग सं0-1546 भूमि जमाबंदीदार-छोटा सादील मियाँ पिता-तराबली मियाँ ग्राम-कुरुवा, पोस्ट-कुरुवा, थाना-करमाटौंड, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म-पुरातन पतित कहकर दर्ज है तथा जमाबन्दी पंजी के जमाबन्दी न0 60/2 में वर्ष 2009-2010 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकौ पंजी-11 के प्राधिकार कालम में जमाबन्दी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबन्दीदार के वारिशानों के द्वारा उक्त जमाबन्दी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। प्रतिवेदन के आधार पर वादी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु कहा गया। वादी की ओर से उनके पुत्र जमामत अंसारी ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है कि उनके पास लगान रसीद सं0-093491 उपलब्ध है जिसकी छायाप्रति उन्होंने समर्पित किया है। उनका कहना है कि उक्त वाद में वर्णित भूमि की बंदोबस्ती के संबंध में उनके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध कराए गए लगान रसीद का अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि वादी द्वारा किस दाग संख्या का लगान जमा किया गया है। वादी के द्वारा दाग संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने तथा बंदोबस्ती संबंधी साक्ष्य/कागजात उपलब्ध नहीं कराने से उपरोक्त वर्णित जमाबन्दी संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः अंचल करमाटौंड(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-कुरुवा, थाना सं0-83, के जमाबन्दी संख्या-60/2 पर बंदोबस्ती संबंधी कोई साक्ष्य या कागजात अप्राप्त रहने के कारण जमाबन्दी संख्या-60/2 को संदिग्ध मानते हुए उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रोत्तर कारवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को भेजे।  अंचल अधिकारी, करमाटौंड(विद्यासागर), जामताड़ा।	